भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2076

दिनांक 12.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-2

2076. श्री भोजराज नागः
श्री दुलू महतोः
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः
श्री मनीष जायसवालः
श्री अनूप प्रधान वाल्मीकिः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री अनूप संजय धोत्रेः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री जुगल किशोरः
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
श्री विनोद लखमशी चावड़ाः
श्री राजकुमार चाहरः
श्री बंटी विवेक साहूः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः
श्री यदुवीर वाडियारः
श्री नलिन सोरेनः
श्री मुकेश राजपूतः
श्री बिभु प्रसाद तराईः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) चरण-2 के अंतर्गत देश भर में ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन, ओडीएफ-प्लस और ओडीएफ प्लस-प्लस गतिविधियों के कार्यान्वयन की राज्य-वार/केंद्र शासित प्रदेश-वार सहित जम्मू और कश्मीर के जम्मू ज़िला, झारखंड के दुमका ज़िला और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िला में वर्तमान स्थिति क्या है,

(ख) क्या सरकार ने चरण-2 के तहत जम्मू सहित पूरे देश में स्वच्छता हस्तक्षेपों के लोक स्वास्थ्य संकेतकों, जैसे जलजनित रोगों में कमी और स्वच्छ पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हाँ, तो उक्त मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन परिणामों की निगरानी, तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापन और स्वच्छ सर्वेक्षण-ग्रामीण (एसएसजी) के अंतर्गत रैंकिंग कैसे की जा रही है;

(ङ) ग्रामीण स्तर पर ऐसे कौन से तंत्र स्थापित किए गए हैं जो केवल अवसंरचना निर्माण तक सीमित न होकर स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं अपशिष्ट पृथक्करण के संबंध में सतत व्यावहारिक बदलाव को बनाए रखने में सहायक हों; और

(च) क्या सरकार तटीय गाँवों, जैसे महाराष्ट्र के पालघर में स्वच्छता बनाए रखने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एसबीएम-जी के तहत कोई विशेष मिशन लागू कर रही है. यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम(जी)] चरण-II को 2020-21 से 2026-27 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और सभी गांवों को ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था से कवर किया जा रहा है, जिसमें दृश्यगत स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है अर्थात गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस (मॉडल) गांवों में परिवर्तित किया जा रहा है। एसबीएम (जी) चरण-II के तहत, 10-2-2026 तक एसबीएम (जी) की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ओडीएफ प्लस (मॉडल) घोषित गांवों की संख्या, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) व्यवस्था से कवर किए गए गांवों की संख्या, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार **अनुबंध-1** में दी गई है। उपरोक्त पर जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के जम्मू जिले, झारखंड के दुमका जिले और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के कवरेज की स्थिति **अनुबंध-2** में दी गई है।

(ख): जी, नहीं।

(ग) और (घ): ऊपर (ख) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ङ): स्वच्छता राज्य का विषय है। एसबीएम (जी) चरण-II न केवल ओडीएफ गांवों को ओडीएफ प्लस (मॉडल) गांवों में बदलने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है,

बल्कि इसका उद्देश्य बेहतर साफ-सफाई और स्वच्छता परिपाटियों को अपनाने के लिए लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना है। तदनुसार, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) इस कार्यक्रम का अभिन्न अंग है और यह निरंतर व्यवहारवादी परिवर्तन की नींव रखता है। इससे कार्यक्रम में सामुदायिक भागीदारी या जनभागीदारी को बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे कार्यक्रम के तहत बनाई गई संपत्तियों का सामुदायिक स्वामित्व सुदृढ़ होता है।

एसबीएम (जी) चरण-II के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने आईईसी अभियानों को विकसित और कार्यान्वित करना है तथा स्वच्छता, साफ-सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन आदि सहित कार्यक्रम के विभिन्न घटकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्रीय आईईसी अभियानों को संवर्धित करना है ताकि जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर पहुंच तथा सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ किया जा सके। एसबीएम (जी) चरण-II के तहत, आईईसी और क्षमता निर्माण कार्यकलापों के लिए, कुल परियोजना निधियों के 5% तक के व्यय की अनुमति है, जिसमें 2% तक का उपयोग केन्द्रीय स्तर पर तथा 3% तक राज्यों/जिला स्तर पर किया जाना है।

(च): जी, नहीं।

*****

अनुबंध-1

दिनांक 12-02-2026 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2076 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण

ओडीएफ प्लस (मॉडल) घोषित गांवों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) व्यवस्थाओं से कवर गांवों और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) व्यवस्थाओं से कवर गांवों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या (10-2-2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गांवों की कुल संख्या	कुल ओडीएफ प्लस (मॉडल) गांव	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) व्यवस्थाओं से कवर गांवों की संख्या	तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) व्यवस्थाओं से कवर गांवों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	265	224	234	234
2	आंध्र प्रदेश	15,995	11,625	15,971	11,898
3	अरुणाचल प्रदेश	5,134	1,080	3,472	3,836
4	असम	25,368	23,704	24,240	25,109
5	बिहार	37,138	34,990	35,326	35,536
6	छत्तीसगढ़	19,643	18,523	18,565	18,739
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमण व दीव	98	98	98	98
8	गोवा	373	325	371	343
9	गुजरात	17,973	13,955	17,159	17,045
10	हरियाणा	6,618	5,875	6,115	6,406
11	हिमाचल प्रदेश	17,618	14,539	15,201	15,965
12	जम्मू और कश्मीर	6,216	6,185	6,185	6,185
13	झारखंड	29,322	8,069	9,955	26,681
14	कर्नाटक	26,484	12,525	26,405	13,466
15	केरल	1,435	1,372	1,381	1,377
16	लद्दाख	240	238	238	240
17	लक्षद्वीप	10	10	10	10
18	मध्य प्रदेश	51,043	50,689	50,763	50,788
19	महाराष्ट्र	40,247	34,703	35,670	38,401
20	मणिपुर	2,567	26	29	122
21	मेघालय	6,466	489	845	5,405
22	मिजोरम	646	619	624	624
23	नागालैंड	1,425	684	885	1,180
24	ओडिशा	46,928	44,946	45,099	45,283
25	पुडुचेरी	91	42	90	44
26	पंजाब	11,977	2,295	4,305	10,023
27	राजस्थान	43,463	42,515	42,713	42,820
28	सिक्किम	400	400	400	400
29	तमिलनाडु	11,739	11,604	11,620	11,609
30	तेलंगाना	9,773	9,547	9,588	9,571
31	त्रिपुरा	765	763	764	765
32	उत्तर प्रदेश	96,174	94,155	94,274	94,715
33	उत्तराखंड	14,967	14,893	14,931	14,899
34	पश्चिम बंगाल	38,343	34,473	35,705	36,670
	कुल:-	**5,86,944**	**4,96,180**	**5,29,231**	**5,46,487**

[राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसबीएम (जी) के आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार]

अनुबंध-2

दिनांक 12-02-2026 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2076 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण

एसबीएम (जी) चरण-II के तहत जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के जम्मू जिले, झारखंड के दुमका जिले और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कवरेज की स्थिति।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	**जिला**	**गांवों की कुल संख्या**	**कुल ओडीएफ प्लस (मॉडल) गांव**	**ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) व्यवस्थाओं से कवर गांवों की संख्या**	**तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) व्यवस्थाओं से कवर गांवों की संख्या**
जम्मू और कश्मीर	जम्मू	756	755	755	755
झारखंड	दुमका	2,671	768	812	2,373
मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	1,896	1,896	1,896	1,896

(राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसबीएम (जी) के आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार)